

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
अभिगम सेवा स्कंध
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 16-01/2017-एस-III/खंड-I(शार्ट कोड)148/16

दिनांक: 02-02-2023

सेवा में

सचिव (मूल्यांकन),
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
जल भवन, बी-ब्लॉक,
नेहरु कॉलोनी, देहरादून।

विषय: उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को संक्षिप्त (शॉर्ट) कोड 1916 के आवंटन के संबंध में।

कृपया दिनांक 19.01.2023 के अपने पत्र सं. 9283/विश्व बैंक-टोल-फ्री/2022-23 का अवलोकन करें जिसमें पेयजल के लिए केन्द्रीकृत शिकायत एवं समाधान केन्द्र हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को संक्षिप्त कोड के आवंटन के लिए अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 02.07.2014 के अपने पत्र सं. 16-3/2013-एस-III/भाग-III/38/961 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति हेल्पलाइन के रूप में पहले ही संक्षिप्त कोड '1916' का आवंटन किया जा चुका है।
3. तदनुसार अनुरोध है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून अपने कंप्यूटरीकृत शिकायत और समाधान केन्द्र हेतु पेयजल हेल्पलाइन के रूप में मौजूदा संक्षिप्त कोड '1916' का उपयोग कर सकता है।
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संचित कुमार गर्ग

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार।

संचित कुमार गर्ग
सहायक महानिदेशक (एस-III)
दिनांक: 02.02.2023

सूचना और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए प्रति प्रेषित:

1. सचिव, ट्राई।
2. सीएमडी एमटीएनएल/सीएमडी बीएसएनएल।
3. सचिव (मूल्यांकन), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, बी-ब्लॉक, नेहरु कॉलोनी, देहरादून को दिनांक 19.01.2023 के पत्र संख्या 9283/विश्व बैंक-टोल फ्री/2022-23 के संदर्भ में इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त करें। नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएसए), एलएसए यूनिट से संपर्क कर सकते हैं।
4. निदेशक (एनटी), डीजीटी (मुख्यालय) (संपर्क करने पर संबंधित एलएसए फील्ड यूनिट को संबंधित नोडल अधिकारी और टीएसपी को हेल्पलाइन के साथ कार्यान्वयन के लिए समन्वय के लिए कहा जा सकता है।)
5. दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रतिलिपि।

33/2
66

Government of India
Ministry of Communication & Information Technology
Department of Telecommunications
Access Services Wing
20, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 16-3/2013-AS.III/ Part-III/38/961/

Dated 02/07/2014

To

All Access Service Providers

Subject:- Allocation of Short Code '1916' to all States / UTs as "Drinking Water Supply" Helpline.

I am directed to convey the approval of competent authority for allocation of Short Code '1916' as Drinking Water Supply Helpline to all States/UTs with following features as under:

- (i) Category-I: Service (i.e. mandatory service to be provided by all the Access providers.
 - (ii) Accessibility: Un-restricted i.e. available on STD also.
 - (iii) Metered Service: (It may be taken as Called Party Pays or Calling Party Pays depending on a separate intimation, to this effect, issued from the agency to which this short code is allocated in furtherance to this DoT instruction).
2. All are requested to take necessary action.


(Narayan Ram)
Section Officer (AS-III)
Tel.:23036444

Copy forwarded for information and necessary action to, if any, to:

1. All State Govt./UTs Chief Secretaries. (It is requested to appoint a Nodal Officer(s) to co-ordinate with Telecom Service Providers of concerned State/UTs).
 2. Secretary, TRAI
 3. Assistant Commissioner (GAB), Delhi Jal Board; Govt of NCT of Delhi, Varunalaya Phase-II, Jhandewalan, New Delhi with reference to letter No. DJB/GAB-CCR/2014/ D-2-224.
 4. CMD MTNL/ BSNL.
 5. Director (TERM-I), DoT (HQ). (All TERM Cells may be asked to co-ordinate with respective Nodal Officers and TSPs for implementation of Helpline, as and when approached).
 6. ADG (IT) with request to kindly upload on DoT Website.
- 